

इसे वेबसाइट www.govt_pressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 373]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 15 सितम्बर 2021—भाद्र 24, शक 1943

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2021

क्र. एफ-ए-3-85-2017-1-पांच-(66).—राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-85-2017-1-पांच (07) दिनांक 08 फरवरी 2019 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, नौवें और दसवें परंतुकों में, “अगस्त, 2021 के 31वें दिन” अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं भी वे आते हैं, “नवंबर, 2021 के 30वें दिन” अंकों, अक्षरों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

2. यह अधिसूचना दिनांक 29 अगस्त, 2021 से प्रवृत्त समझी मानी जावेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2021

क्र. एफ-ए-3-85-2017-1-पांच-(66).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय का अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-85-2017-1-पांच-(66), दिनांक 15 सितम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 15th September 2021

No. F-A-3-85-2017-1-V (66).—In exercise of the powers conferred by Section 128 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this department's notification No. F-A-3-85-2017-1-V(07) dated 08th February 2019, namely:—

In the said notification, in the ninth and tenth provisos, for the figures, letters and words “31st day of August, 2021”, where ever they occur, the figures, letters and words “30th day of November, 2021” shall be substituted.

2. This notification shall come into force from the 29th day of August, 2021..

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.